कार्यालय कलेक्टर (शिक्षा) जिला जबलपुर

क्र./2025/मान्यता/ 623. जबलपुर, दिनांक – 24/1/2025

-: आदेश :-

1. सेंट जोसफ कान्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल,कैंट जबलपुर के विषय में अनुचित फ़ीस वृद्धि एवं अन्य विषयों पर प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में म.प्र. निजी विद्यालय (फ़ीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित ज़िला समिति द्वारा विचारण किया गया।

2. सेंट जोसफ कान्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल,कैंट जबलपुर के प्रबंधन द्वारा विगत वर्षों में की गई फ़ीस वृद्धि की प्राप्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

ST.JOSEPH CONVENT GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL,CANTT,JABALPUR									
सत्रवार वसूल की गई फ़ीस									
S.N.	Class	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	KG-1	36100	40300	40300	33200	33800	43640	46040	52540
2	KG-2	26100	28300	28300	21200	21800	31640	34040	37540
3	1ST	31700	33800	33800	26400	27000	36900	39400	43000
4	2ND TO 5TH	27700	29800	29800	22400	23000	32900	35400	39000
5	6TH TO 8TH	29000	31300	31300	23600	24400	34700	37300	41100
6	9TH TO 10TH	29300	31600	31600	23800	24400	35000	37600	41450
7	11TH TO 12TH SCIENCE	38200	41500	41500	33000	33600	45700	49400	54700
8	11TH TO 12TH ARTS	36700	40000	40000	33000	33600	44100	47800	52900

3 म.प्र. निजीविद्यालय (फीसतथासंबंधितविषयोंकाविनियमन) अधिनियम2017 एवं म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के तहत फ़ीस वृद्धि के लिए निम्नानुसार नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित है।

क्र.	अधि.2017 की धारा	नियम 2020	संक्षिप्त विवरण
1	4(1), 4(3)	3(2) (दो) 3(2)(चार)	• अधिनियम प्रारंभ होने के 90 दिवस के भीतर निजी विद्यालय पूर्ववर्ती तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करेगा। • निजी विद्यालय का प्रबंधन आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रस्तावित फ़ीस संरचना को दस्तावेजों एवं लेखों के साथ प्रस्तुत करेगा। • निजी विद्यालय प्रबंधन आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फ़ीस संरचना प्रारूप-तीन में सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस पूर्व तक पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा। प्रारूप-तीन में फ़ीस की प्रत्येक मद में वृद्धि का औचित्य भी उल्लेखित करना आवश्यक होगा।
2	10(2)	3(4)	प्रस्तावित फ़ीस संरचना की जानकारी नियत समय-सीमा में प्रस्तुत ना करने की स्थिति में ज़िला समिति उक्त निजी विद्यालय पर अर्थदंड अधिरोपित कर सकेगी।
3	5(2)	-	उस वर्ष की वार्षिक प्राप्तियों की अधिकता को बनाए रखने के लिए, जिसके कि लिए उसी वर्ष हेतु व्यय पर फीस प्रस्तावित है, ऐसी वार्षिक प्राप्तियों के 15 प्रतिशत के भीतर फीस में वृद्धि विनियमित की जाएगी |
4	5(3)(क)	4(1)	निजी विद्यालय द्वाराविगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत तक फ़ीस वृद्धिका प्रारूप-3 में प्रस्तुत प्रस्ताव ज़िला समिति को सम्यक् रूप से सूचित और मान्य होगा। ज़िला समिति द्वारा इस संबंध में कोई पृथक् से आदेश जारी करना अपेक्षित नहीं होगा।
5	5(3)(ख)	4(2)	विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक किंतु 15 प्रतिशत से कम फ़ीस वृद्धिप्रस्तावपर ज़िला समिति द्वारा 45 कार्य दिवस में निर्णय लिया जायेगा।
6	5(3)(ख) 5(3)(ग)	4(3)+4(6)	विगत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक फ़ीस वृद्धि प्रस्तावज़िला समिति द्वारा 07 कार्य दिवस में अभिमत के साथ राज्य समिति को प्रेषित किया जाएगा। राज्य समिति द्वारा 45 कार्य दिवस में निर्णय लिया जायेगा।
7	10(1)	9(7)	ज़िला समिति द्वारा नियम 4 के अधीन अनुज्ञात फ़ीस से अधिक संग्रहित फ़ीस छात्रों, पालकों या अभिभावकों को वापस करने संबंधी आदेश निजी विद्यालय प्रबंधन को दिया जा सकेगा।
8	10(6)	9(11)	यथा आदेशित राशि का भुगतान करने में असफल होने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली ज़िला कलेक्टर द्वारा बकाया भू राजस्व की भाँति की जा सकेगी।

4. गठित परिक्षण दल के प्रतिवेदन अनुसार जाँच में विद्यालय प्रबंधन द्वारा म.प्र. निजीविद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के तहत निम्नलिखित अनियमितताएँ किया जाना सिद्ध पाया जाता है –

   i. अधिनियमलागू होने के 90 दिवस के भीतर पूर्ववर्ती 3 वर्षों के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किये गए | यह कृत्य अधिनियम की धारा 4(1) का उल्लंघन है। दिसंबर 2020 में जब नियम लागू हुआ तो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी जो जिला कार्यालय में जमा नहीं की गई। ऑडिट रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना एवं जिला स्तर पर पूर्व की रिपोर्ट भी जमा न करना अधिनियम की धारा 4(1) सहपठित नियम 3(1) (दो) का उल्लंघन है।

ii. शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से 2024-25 में प्रस्तावित फीस वृद्धि संरचना को दस्तावेजों एवं लेखा के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। यह अधिनियम की धारा 4(3) का उल्लंघन है।

iii. प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि संरचना की जानकारी प्ररूप-तीन में 2021-22 एवं बाद के वर्षों में प्रस्तुत नहीं की गई । अनुचित लाभ कमाने के प्रयोजन से फ़ीस वृद्धि के औचित्य को जान बूझकर पालकों, ज़िला समिति एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शित नहीं किया गया। यह कृत्य अधिनियम की धारा 4(3) सहपठित नियम 3(2)(चार) का उल्लंघनहै।

iv. 10 प्रतिशत तक फ़ीस वृद्धि की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई। फ़ीस वृद्धि के औचित्य को जान बूझकर छुपाया गया और पालकों तथा ज़िला समिति एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शित नहीं किया गया तथा फ़ीस की वसूली की गई। यह कृत्य नियम 3(2)(चार) एवं4(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

v. ज़िला समिति/राज्य समिति की स्वीकृति प्राप्त किए बग़ैर विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक फ़ीस की वृद्धि कर वसूली की गई। यह कृत्य अधिनियम की धारा 5(3)(ख) सहपठित नियम 4(2) एवं धारा 5(3)(ग) का उल्लंघन है जिस कारण से नियम 4(3) की कार्यवाही का पालन नहीं हुआ।

5. निजी विद्यालयों की विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त शिकायतों के तारतम्य में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जबलपुर के पत्र क्र./मान्यता/2024/3002/113 जबलपुर दिनांक 18/04/2024 द्वारा प्रबंधक/प्राचार्य सेंट जोसफ कान्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल,कैंट जबलपुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा दिनांक – 29/04/2024 को कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया।

6. विद्यालय प्रबंधन द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के जबाब में लेख है कि शासन के निर्देसानुसार ही फीस का निर्धारण किया जाता है जबकि फीस में विगत वर्षो में 10% या उससे अधिक की वृधि की गई जो की –

i. म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियमन) अधिनियम 2017 एवं म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियमन) नियम 2020 का पालन नही किया गया

ii. उक्त वर्षो में म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियमन) अधिनियम 2017 धारा 4(3)के अनुसार फीस संरचना को दस्तावेजो और लेखो के साथ प्रस्तुत नही किया गया इसके अलावा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियमन) नियम 2020 के नियम 3(2) के तहत फीस की जानकारी जिला समिति, जबलपुर निर्धारित प्रारूप में जमा नही की गई ना ही कोई अनुमति प्राप्त की गई|

7. दिनांक 10.09.2024 को कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला समिति द्वारा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियमन) अधिनियम 2017 एवं सहपठित नियम 2020 के अंतर्गत सेंट जोसफ कान्वेंट गर्ल्स

सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल,कैंट जबलपुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संदर्भ में खुली सुनवाई का आयोजन कर विद्यालय प्रबंधन को बचाव का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई में प्रबंधन की ओर से प्राचार्य सिस्टर नाव्या मैथ्यू ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया ।

8. कार्यालय कलेक्टर (शिक्षा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक/मान्यता/2024/7374 जबलपुर दिनांक 09/09/2024 द्वारा जांच में पाये गये तथ्यों की निम्न बिंदुवार जानकारी विद्यालय प्रबंधन को उपलब्ध करायी गई:-

I. ऑडिट रिपोर्ट में अर्जित आधिक्य

II. वर्ष 2017-18 की तुलना में कक्षावार फीस वृद्धि प्रतिशत।

III. प्राप्त की गई अतिरिक्त फीस की राशि।

IV. स्कूल बैग के वजन की जानकारी

V. विद्यालय प्रबंधन द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल नवीन पुस्तकों की जानकारी |

Vi विद्यालय में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में ISBN मिलान न होने की जानकारी |

उक्त बिन्दुओं पर जवाब पत्र प्राप्ति से तीन दिवस के अंदर आपत्तियों के संबंध में सप्रमाण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था ।

9 सेंट जोसफ कान्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल,कैंट जबलपुर ने नोटिस के जवाब में दिनांक 25/09/2024 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है –

I. द सिस्टर ऑफ़ स्नेहांजली सोसायटी को विद्यालय प्रबंधन द्वारा राशि हस्तांतरित किये जाने विषयक विद्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि-

द सिस्टर ऑफ़ स्नेहांजली सोसायटी के द्वारा विद्यालय का प्रबंधन किया जाता है वर्ष 2017-18 से 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट अनुसार विद्यालय प्रबंधन द्वारा रुपये 4,35,76,700 /- सोसायटी को हस्तांतरित किये गए वही सम्बंधित सोसायटी द्वारा भवन के रख रखाव मरम्मत तथा फर्नीचर की खरीदी हेतु रुपये 4,99,04,904 /- व्यय किये गए |

वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 वार्षिक प्राप्तियां का अधिक्य 15% से अधिक होने एवं सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में फीस वृद्धि नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया हैं |

II. जाँच समिति द्वारा सत्र 2017-18 को आधार वर्ष मानते हुए सत्र 2018-19 से लेकर 2024-25 तक की कमपाऊडिंग फीस वृद्धि लगभग 42% के सम्बन्ध में विद्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि-

उपरोक्त गणना बिना किसी सत्यता के आधार पर की गयी है एवं पुर्णतः गलत है | विद्यालय प्रबंधन अनुसार वास्तविक द्रष्टिकोण से पूर्ववर्ती वर्ष से तुलना कर फीस वृद्धि को देखा जाये तो यह प्रत्येक सत्र में निर्धारित सीमा 10% में है |

III. अतिरिक्त फीस गणना के सम्बन्ध में विद्यालय का लेख है कि-

यह पुर्णतः गलत गणना है एवं इस सम्बन्ध में विद्यालय द्वारा अन्य विधालओ के माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल WA 1778 / 2024 की याचिका दिनांक 13/08/2024 के आदेश का सन्दर्भ दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फीस वापसी के आदेश पर रोक लगायी गयी है , यह आदेश सम्बंधित विधालय हेतु नहीं है|

IV. शासन द्वारा कक्षावार निर्धारित स्कूल बैग के वजन के सम्बंध में विद्यालय प्रबंधन द्वारा जबाब दिया गया कि- सभी छात्राएं सभी दिन सभी पाठ्यपुस्तकें एवं नोट बुक नहीं लाते है अपितु समय सारणी एवं अलग-अलग दिवस पर पढाये जाने वाले विषयों के आधार पर पाठ्य पुस्तकें एवं नोटबुक लेकर आते है ,इस सम्बन्ध में विद्यालय द्वारा कक्षावार समय सारणी तथा इसके अनुसार कक्षावार बैग के वजन की जानकारी दी गयी है |

V. सत्र 2024-25 में पाठ्यक्रम में शामिल कुल 194 पुस्तकों मे से 20 नवीन पुस्तकें (लगभग 10%) को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में अपना जवाब दिया गया है कि-

पुस्तकों में परिवर्तन विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की अनुशंसा पर पाठ्यवस्तु,पुस्तक का मूल्य एवं उपलब्धतना के आधार पर किया गया है साथ ही पुस्तकों के परिवर्तन में NEP2020 के लागू होने का एक कारण बताया गया है |

VI. सत्र 2024-25 के पाठ्यक्रम में शामिल 194 में से 51 पुस्तकों के ISBN के मिलान न होने के विषयक विद्यालय द्वारा जबाब दिया गया कि-

विद्यालय प्रबंधन द्वारा पुस्तकें लेखक का नाम , टाईटल , तथा प्रकाशन के आधार पर निर्धारित की जाती है पुस्तकों के ISBN से विद्यालय का कोई सम्बन्ध नहीं है इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्रकाशक से प्राप्त की जानी चाहिए |

10. सेंट जोसफ कान्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल,कैंट जबलपुर की जाँच में पाए गए अनियमितताओं के सम्बन्ध में विद्यालय प्रबंधन द्वारा दिए गए जवाब से निम्नांकित तथ्यों का समाधानकारक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है |

I. यदि विद्यालय द सिस्टर ऑफ़ स्नेहांजली सोसायटी द्वारा संचालित है एवं यदि विद्यालय की आय से राशि का हस्तानान्तरण सोसायटी को किया जा रहा है तो सम्बंधित सोसायटी की भी ऑडिट रिपोर्ट तथा उसके द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों की जानकारी भी संलग्न की जानी थी जो विद्यालय द्वारा जमा नहीं की गयी |

II. विद्यालय प्रबंधन द्वारा सत्र 2017-18 से फीस संरचना निर्धारित प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा नहीं की गयी,विद्यालय द्वारा वर्ष 2021 से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जबलपुर में पुस्तकों की सूची व फीस विवरण जमा किया गया है जबकि यह 2017-18 से निर्धारित प्रारूप में फीस वृद्धि का उचित कारण सहित प्रत्येक सत्र में सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस पूर्व किया जाना था | विद्यालय प्रबंधन द्वारा ऑडिट रिपोर्ट भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत नही की गयी। जो कि म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियमन) अधिनियम 2017 एवं म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियमन) नियम 2020 की धारा 4 (1), 4 (3) का उल्लघंन होने के कारण धारा 5 (3) (क) लागू नहीं होती है,इस कारण प्रबंधन द्वारा की गयी 10 प्रतिशत फ़ीस वृद्धि मान्य करने योग्य नहीं है।

III. जाँच अधिकारीयों के द्वारा सत्र 2017-18 को आधार वर्ष मानते हुए विद्यालय द्वारा प्राप्त अतिरिक्त शुल्क की राशि की गणना म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियमन) अधिनियम 2017 एवं सहपठित नियम 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत की गयी है विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस गणना को त्रुटि पूर्ण माना जा रहा है किन्तु इसके समर्थन में अपनी कोई गणना प्रस्तुत नहीं की गयी है |

IV. विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई पुस्तक एवं स्टेशनरी सूची के आधार पर बैग का वजन निकाला गया बच्चों की कुल पुस्तकों एवं स्टेशनरी का वजन अधिक पाया गया | विद्यालय प्रबंधक का यह तथ्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि छात्र प्रतिदिन सभी किताबें एक साथ नहीं लाते हैं |

V. विद्यालय प्रबंधन द्वारा कुल 194 पुस्तकों में से 20 पुस्तकें वर्तमान सत्र में बदली गई हैं | पुस्तकों के परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने सम्बंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए |

VI. विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय में संचालित कुल 194 पुस्तकों में 51 पुस्तकों में ISBN का मिलान नहीं हुआ है जिसके उत्तर में विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि इसमे विद्यालय का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्रकाशक से प्राप्त की जानी चाहिए जबकि वास्तव में विद्यालय द्वारा पुस्तकें चयनित की जाती है तथा छात्राएं उसकी पूरी कीमत देकर पुस्तकें खरीदती है अतः यह विद्यालय का उतरदायित्व है कि छात्राओं को असली पुस्तकें प्राप्त हो।

11. विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रत्युतर के संदर्भ में ज़िला समिति द्वारा विचारण किया गया –

11.1 दिनांक **25.1.2018** में अधिनियम लागू हुआ जिसमें धारा **4(1)** के अनुसार अधिनियम लागू होने के **90** दिन के अंदर **3** वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी जिला समिति को दिया जाना था जो नहीं दी गई तथा दिसंबर **2020** में जब नियम लागू हुआ तो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी जो जिला कार्यालय में जमा नहीं की गई। ऑडिट रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना एवं जिला स्तर पर पूर्व की रिपोर्ट भी जमा न करना अधिनियम की धारा **4(1)** सहपठित नियम **3(1)** (दो) का उल्लंघन है।

11.2 म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम **2017** की धारा **4(3)** के अनुसार फीस संरचना को दस्तावेजों एवं लेखों के साथ प्रस्तुत करना तथा सहपठित म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम **2020** के नियम **3(2)**(चार) के तहत मदवार फ़ीस वृद्धि की औचित्य सहित जानकारी प्रारूप-3 में प्रति वर्ष शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के **90** दिवस पूर्व तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त जानकारी संसूचित होने के उपरांत ही प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि को विहित प्रक्रिया अनुसार मान्य किया जाना अपेक्षित है।

11.3 सेंट जोसफ कान्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल,कैंट जबलपुर विद्यालय प्रबंधन के द्वारा जांच दल को वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रति वर्ष का वार्षिक प्राप्ति अधिक्य/कमी निम्नानुसार है –

स क्र	वितीय वर्ष	प्राप्ति अधिक्य
1	2017-18	9.71%
2	2018-19	26.61%
3	2019-20	18.85%
4	2020-21	6.36%
5	2021-22	12.68%
6	2022-23	-1.09%
7	2023-24	-57.55%

विद्यालय प्रबंधन द्वारा द सिस्टर ऑफ़ स्नेहांजली सोसायटी को वर्ष 2017-18 से 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट अनुसार रुपये 4,35,76,700 /- हस्तांतरित किये गए सत्र 2022-23 में विद्यालय द्वारा सम्बंधित सोसायटी को 2 करोड़ रुपये स्थानांतरित करते हुये सम्बंधित वर्ष में -1.09% की कमी प्रदर्शित की गयी है

11.4 सेंट जोसफ कान्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल,कैंट जबलपुर द्वारा प्रस्तावित फीस वृद्धि संरचना की जानकारी सम्यक रूप से संसूचित नहीं की गई, इसके संबंध में विद्यालय प्रबंधन ने कोई जानकारी नहीं दी है। जिन सत्रों में शुल्क वृद्धि की गई है उन सत्रों की सम्यक रूप से जानकारी नहीं दी गई है। स्पष्ट है कि विद्यालय शुल्क वृद्धि को छुपाना चाहता है। इसके बाद के वर्षों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को नहीं दी गई है।

11.5 सतत कई वर्षों तक जानकारी नहीं प्रस्तुत करना कतई स्वीकार योग्य नहीं है। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि फीस वृद्धि कर अनुचित लाभ कमाने के प्रयोजन से विद्यालय प्रबंधन द्वारा जानबूझ कर उक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।

11.6 सेंट जोसफ कान्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल,कैंट जबलपुर के प्रबंधन द्वारा कभी भी उक्त आज्ञापक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। नियत समय-सीमा के पश्चात जानकारी प्रस्तुत करने पर अर्थदंड का प्रावधान है, पर यह व्यवस्था अनिश्चित काल तक के विलंब के लिए स्वाभाविक तौर पर नहीं है। कतिपय दिवस/सप्ताह का विलंब इस नियम की परिधि में विचारणीय अवश्य हो सकता है, पर सतत कई वर्षों तक जानकारी नहीं देना इस नियम की परिधि में नहीं आता है। यह सिद्ध है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा जानबूझ कर उक्त आज्ञापक प्रावधान का उल्लंघन किया गया है।

11.7 अधिनियम के प्रभावशील होने के दिनांक **25/01/2018** से स्कूल संचालक द्वारा फीस वृद्धि के औचित्य का उल्लेख करते हुए अधिनियम की धारा **4(1)** के अनुसार पूर्ववर्ती **3** वर्षों की न तो ऑडिट रिपोर्ट जमा की गई और न ही धारा **4(3)** के अनुसार प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी जमा की गई, जिससे धारा **5(2)** का पालन नहीं हुआ। चूंकि प्रबंधन द्वारा अधिनियम लागू होने के दिनांक से स्कूल संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने तक किसी भी वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट और प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी सम्यक रूप से प्रस्तुत नहीं की गई। अतः अधिनियम लागू होने के दिनांक से पश्चातवर्ती सत्रों में की गई समस्त फीस वृद्धि अवैधानिक है। अधिनियम लागू होने के दिनांक के पूर्व शैक्षणिक सत्र **2017-18** में निर्धारित फीस को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित फीस वृद्धि की गणना का आधार माना जायेगा।

12. शैक्षणिक सत्र **2017-18** में निर्धारित फीस को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिये निर्धारित फीस वृद्धि की गणना का आधार माना जाने पर वसूल की गई अवैधानिक फीस वृद्धि कीप्रतिशत स्थिति निम्नानुसार है -

अवैधानिक फीस वृद्धि की प्रतिशत स्थिति

CLASS	वर्ष 18-19	वर्ष 19-20	वर्ष 20-21	वर्ष 21-22	वर्ष 22-23	वर्ष 23-24	वर्ष 24-25
K.G.-1	11.63	11.63	13.69	15.75	20.89	27.53	45.52
K.G.-2	8.43	8.43	10.42	13.54	21.63	30.42	43.83
1st	6.62	6.62	9.80	12.75	16.40	24.29	39.65
2^{nd} TO 5^{th}	7.58	7.58	9.80	12.75	18.77	27.80	40.79
6^{th} TO 8^{th}	7.93	7.93	10.19	12.96	19.66	28.62	41.72
9^{th} TO 10^{th}	7.85	7.85	10.19	12.96	19.45	28.33	41.47
11^{th} and 12^{th} Science	8.64	8.64	10	12	19.63	29.32	43.19
11^{th} and 12^{th} Comm & Arts	8.99	8.99	10	12	20.16	30.25	44.14
TOTAL	**8.45**	**8.45**	**10.51**	**13.08**	**19.57**	**28.32**	**42.57**

13 शैक्षणिक सत्र 2017-18 की तुलना में अवैधानिक रूप वसूल की गई राशि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है -

क्रमांक	शैक्षणिकसत्र	कुलछात्र संख्या	अवैधानिकरूप से वसूल की गई कुल फीस	अधिनियम 2017 की धारायें एवं नियम 2020 के नियम जिनका पालन नहीं हुआ
1	2018-19	3114	7678400	-
2	2019-20	3062	7564100	धारा 4(1),4(3),5(3)(ख)
3	2020-21	3057	7152800	धारा 4(1),4(3),5(3)(ख)
4	2021-22	3074	904400	धारा 4(1),4(3),5(3)(ख)
5	2022-23	3081	18045940	धारा 4(1)नियम 3(1)(दो),3(2)(चार)
6	2023-24	3167	26891760	धारा 4(1)नियम 3(1)(दो),3(2)(चार)
7	2024-25	3272	40804390	धारा 4(1)नियम 3(1)(दो),3(2)(चार)
योग		21827	10,90,41,790	

14 फ़ीस वृद्धि के संबंध में विद्यालय प्रबंधन द्वारा उल्लेखित विवरण अनुसार नियमों का उल्लंघन किया जाना सिद्ध है। अतः ज़िला समिति द्वारा सर्व सम्मति से म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम **2017**की धारा 10(1) सहपठित नियम 9(**7**) एवं नियम **9(8)** के तहत शैक्षणिक सत्र **2017-18** के पश्चात की गई समस्त फ़ीस वृद्धि को अमान्य करने का विनिश्चय किया गया है।

15 सेंट जोसफ कान्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल,कैंट जबलपुर जिला समिति के विनिश्चय के अनुसार 2018-19 से 2024-25तक की गयी शुल्क वृद्धि अमान्य की गयी हैं अतः सेंट जोसफ कान्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल,कैंट जबलपुर की वर्तमान सत्र की शुल्क निम्न तालिका अनुसार रहेगी –

CLASS	KG I	KG II	1st	2nd-5th	6th-8th	9th-10th	11th - 12th SCIENCE	11th-12th ARTS
शुल्क	36100	26100	31700	27700	29000	29300	38200	36700

16 जिला समिति के विनिश्चय के अनुक्रम में प्रबन्धक/प्राचार्य को आदेशित किया जाता हैं कि बिन्दु क्रमांक **13** के अनुसार प्राप्त की गयी अनधिकृत शुल्क आदेश प्राप्ति से 30 दिवस में संबंधित छात्र-छात्राओं/अभिभावकों को उसी रीति से वापिस किया जाये,जिस रीति से शुल्क प्राप्त की गयी हैं।

17 मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के तहत पाई गई अनियमितताओं के कारण रुपए दो लाख की शास्ति विद्यालय प्रबंधन पर अधिरोपित की जाती है।

18 अतः विद्यालय प्रबधन को निर्देशित किया जाता है कि आप शास्ति की राशि को निम्न बैंक खाते में आदेश दिनांक से तीस दिवस के अंदर ऑनलाइन जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के कार्यालय में जमा कराना सुनिचित करें।

क्र.	बैंक का नाम	खाता क्रमांक	आई एफ एस सी कोड	खाता धारक का नाम
01	**HDFC BANK M.P. NAGAR BHOPAL**	50200059579785	**HDFC0001257**	**Commissioner Public Instruction MP**

19 जांच समिति द्वारा पाठ्य पुस्तकों ,स्कूल बैग के वजन तथा गणवेश एवं अन्य अनिमितताओ से संबंधित जांच की गई है जिस पर जिला समिति द्वारा बाद में परीक्षण हेतु विचार किया जाएगा।

20 आदेश पालन पश्चात् कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर में प्रस्तुत किया जावें।

21 म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम **2017**की धारा 11(1) एवं सहपठित नियम 11 के अनुक्रम में सेंट जोसफ कान्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल,केंट जबलपुर राज्य समिति के समक्ष आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 कार्यदिवसकेभीतरअपील कर सकते हैं।

(कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति द्वारा अनुमोदित)

(घनश्याम सोनी)
जिला शिक्षाअधिकारी
सदस्य सचिव
जिला समिति जबलपुर

पृष्ठांकन क्र./2025/मान्यता/ 624 जबलपुर,दिनांक 24/1/2025

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त,लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संभाग-आयुक्त(राजस्व),संभाग-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर,जिला-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. अपर कलेक्टर(शहर),जिला-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी,जिला-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. सम्बन्धित प्रबंधक/प्राचार्य रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर जबलपुर की ओर पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
सदस्य सचिव , जिला समिति
जिला जबलपुर